

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिणधरी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) केम्प:-अटल सेवा केन्द्र होडू

प्रकरण सं:-10/17

क्रमांक:-लो.अदा./2017/97

दिनांक:-19.5.17

आदेश

प्रार्थी/अपीलाण्ट के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र/अपील पत्र एवं पटवारी होडू व मू.अ.नि.होडू की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सिणधरी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अनुसरण में ग्राम जोगासर तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर की जमाबन्दी संवत् 2072-2075 में खाता संख्या में वर्तमान को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-


क्र. स.	ग्राम	खाता संख्या	खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	जोगासर तहसील सिणधरी	37	599,600,563	रमेशकुमार पुत्र खेताराम	रामाराम पुत्र खेताराम <u>शेष बट्टस्तर</u>




क्रमांक-लो.अदा./2017/98-100

तहसीलदार सिणधरी को भेजकर लेख है, कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना से रिपोर्ट भिजवायें।

2. प्रार्थी श्री. रामाराम पुत्र खेताराम जाति जाट निवासी जोगासर तहसील सिणधरी को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।


उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, सिणधरी
दिनांक:- 19.5.17


उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, सिणधरी